cieties registered with the Registrar of Cooperative Societies, Delhi till August 1983 have been sponsored by him to the DDA for allotment of land. It has not been possible to consider them for allotment for want of land. Keeping in view the limited availability of land with the Delhi Development Authority and large backlog of registrants. It is difficult to indicate at this stage the extent to which it will be possible to accommodate the requirement of land to the registered co-operative group housing societies. However, it is proposed to give high priority to the allotment of land to societies registered under the 'Avas Sakar Yojana'.

फलों तथा सब्जियों की हानि का मूल्यांकन

2783. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में फसल प्राप्ति से पहले उचित वसूली सुविधाओं की कमी की वजह से फलों और सब्जियों में भारी वार्षिक वित्तीय हानि आंकी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो फसल प्राप्ति के पहले और बाद में इन वस्तुओं में वार्षिक हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन हानियों को भरपाई करने के लिये विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) से (ग) देश में फसल प्राप्ति से पहले खरीद की उचित सुविधाओं की कमी के कारण फलों तथा सब्जियों की हानि आंकने के संबंध में कोई सरकारी अनुमान नहीं है ।

सरकार ने ऐसी हानियों को कम करने के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की हैं :--

(1) आलुओं के भण्डारण के लिये पैसिव इक्वेपोरेटिव कूल स्टोर बनाना ;

(2) फलों के रस/फलों पर आधारित पेयों के विपणन के लिये वैकल्पिक ढांचे तैयार करना ;

(3) फलों और सब्जियों के लिये बाजार आसूचना सेवाओं का राष्ट्रीय ग्रिड बनाना ; और

(4) बागवानी फसलों के फसल-कटाई के बाद के प्रबन्ध के पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना ।

2784. [*Transferred to the 30th March, 1989*]

चीनी के मुक्त बिक्री राशन के कोटे में वृद्धि

2785. **श्री राम नरेश यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी मिल मालिकों के लाभ को बढ़ाने के लिये चीनी के मुक्त बिक्री कोटे के अनुपात को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कोटे के बढ़ाये जाने की संभावना है और कब तक ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष चीनी के उत्पादन मे वृद्धि के कारण पिछले वर्षों की अपेक्षा मिलों के लाभों में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के निर्णय और इस वर्ष अधिक उत्पादन के कारण लाभ के अनुपात के किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर 1988 में पहले ही इस आशय की घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक वितरण

प्रणाली की आवश्यकताओं, खुले बाजार में खपत की प्रवृत्तियों और उचित दामों पर चीनी उपलब्ध करने को ध्यान में रखकर वर्तमान चीनी वर्ष 1988-89 के लिये लेवी से मुक्त बिक्री के कोटे के अनुपात को 50:50 से बदल कर 45:55 कर दिया गया है।]

(ग) और (घ) चीनी फैक्टरी की लाभकारिता अथवा अन्यथा कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्य-कुशलता, मुक्त बिक्री से औसत प्राप्तियां आदि शामिल हैं। अतः उत्पादन में वृद्धि होने अथवा मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे के अनुपात में वृद्धि करने के कारण चालू मौसम के दौरान चीनी मिलों को होने वाले लाभ की मात्रा अलग से बताना संभव नहीं है, हांलांकि उपर्युक्त दोनों घटकों के फलस्वरूप उनकी वित्तीय सक्षमता में सुधार होने की आशा है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम

2786. **सरदार ज्ञानजीत सिंह अरोड़ा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों के हित में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम नामक एक परियोजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या देश में इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ; यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इस परियोजना से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं ; और

(ङ) यदि इस परियोजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण चालवीय) : (क), (ख) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के परियोजना आधारित प्लान में उल्लिखित निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में काम कर रहे बालकों के कल्याण के लिये परियोजनायें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से तैयार की गई हैं तथा उन्हें इस समय लागू किया जा रहा है :—

(1) जयपुर, राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर पालिश करने का उद्योग।

(2) मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्लेट उद्योग।

(3) आन्ध्र प्रदेश में मारकापुर में स्लेट उद्योग।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन केवल परियोजना को तैयार करने तक सीमित है। इन परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा की जाती है।

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गय है/शुरू किये जा रहे हैं :—

(i) बाल श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने वाले कानूनों के प्रवर्तन को तेज करना ;

(ii) बाल श्रमिकों के परिवारों को आय/रोजगार सृजन योजनाओं के अन्तर्गत लाना।